



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022
Phalguna 04, Wednesday, Saka 1943- February 23, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2022

संख्या एफ 89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III :- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उप धारा (2) खण्ड (क) के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को उनके सम्मुख अंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	चयनित अध्यक्ष का नाम	पुरुष/महिला	नाम जिला आयोग
1.	श्री हरिनारायण सारस्वत पुत्र श्री रामरखा राम सारस्वत	पुरुष	भीलवाडा
2.	श्री दीनदयाल प्रजापत पुत्र श्री जोधाराम	पुरुष	बीकानेर
3.	श्री साहब राम मोटयार पुत्र श्री इशर राम	पुरुष	श्रीगंगानगर
4.	श्री ईश्वरी लाल वर्मा पुत्र श्री किशन लाल	पुरुष	झालावाड़

उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी: -

1. उक्त नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये है।
2. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले,-
 - (1) अपनी संपत्ति और अपनी देनदारियों और वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा;
 - (2) उसकी मेडिकल फिटनेस के सम्बन्ध में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा;

- (3) शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनमें अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
 - (4) यदि अभिभाषक वर्ग से है तो कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का निलंबन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
 - (5) यदि जिला न्यायालय के कार्यकारी पीठासीन अधिकारी या किसी अधिकरण में समकक्ष स्तर या जिला न्यायालय और अधिकरण के साथ संयुक्त रूप से काम करने वाले न्यायिक अधिकारी है तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
 - (6) यदि किसी शासकीय आयोग/न्यायाधिकरण में किसी पद पर नियुक्त होकर कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
 - (7) उसकी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा और मूल प्रमाण पत्रों से मिलन कराएगा; और
 - (8) निर्धारित प्रपत्र में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और सदस्यता लेगा।
उक्त शर्त की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति को पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को मानदेय/वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ते तथा चिकित्सा उपचार हेतु अवकाश और अस्पताल की सुविधा इत्यादि Rajasthan Consumer Protection (Salary, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021 के प्रावधानों के अनुसरण में देय होंगे;
 4. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति,-
 - (1) राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान कार्यकारी समय में उसके पदस्थापन कार्यालय में उपस्थित रहेगा;
 - (2) बिना अवकाश स्वीकृत कराए अथवा बिना सूचना स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
 5. उक्त नियुक्त व्यक्तियों में से अभिभाषक वर्ग का व्यक्ति उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान तथा पद से हटने के बाद, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष वह अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) नहीं करेगा।
 6. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान और उसके पदस्थापन की क्षमताओं में कार्य करते हुए,-
 - (1) कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा;
 - (2) यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित है, तो वह इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर कार्य नहीं करेगा;
 - (3) कोई मध्यस्थता कार्य नहीं करेगा;

- (4) किसी भी व्यावसायिक सेवा प्रदाता यथा अकाउंटेंट/ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अभिभाषक और शिक्षक इत्यादि के रूप में पेशेवर सेवा का कार्य नहीं करेगा;
- (5) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेवा के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा;
- (6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इनके अधीन जारी नियमों के अन्तर्गत, अध्यक्ष, संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
- उक्त शर्त की अवहेलना किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उसके धारित पद से हटाया जा सकेगा।
7. राज्य सरकार, उक्त नियुक्त व्यक्तियों के उक्त पदस्थापन के अलावा अन्य जिला आयोग में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित कर सकेगी या किसी जिला आयोग में पदस्थापन के साथ-साथ अन्य जिला आयोग के कार्य को भी संपादित करने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।
8. उक्त नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के अन्य निर्बन्धन एवं शर्तें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इनके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों से विनियमित होगी। उक्त नियुक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
9. उक्त नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर को तत्काल अवगत कराना होगा, अन्यथा ऐसा करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति का यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
नवीन जैन,
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।